सं. ए-12013/08/2013-प्रशासन-I(खंड-II)

भारत सरकार

नीति आयोग

संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक 17 अगस्त, 2016

आदेश

सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/सामान्य केंद्रीय सेवा के अनुसंधान अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी स्तर के कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न आकस्मिकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक परामर्शदाताओं के रूप में अनुसंधान एसोसिएटों (आरए)/अनुसंधान सहायकों/अनुभाग पर्यवेक्षकों (एसएस) की सेवाएं लेने का अनुमोदन कर दिया है। इस प्रकार की सेवा केवल आवश्यकता आधारित तथा सामान्य वित्तीय नियमों के अनुरुप होगी।

2. संबंधित प्रशासन अनुभाग रिक्त पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से ऑनलाइन विज्ञापन देंगे और उन पदों को भरेंगे।

3. इस संबंध में, आरए की सेवा अधोलिखित नियमों और शर्तों पर ली जाएगीः

i. काम पर रखने की अवधि दो वर्ष अथवा रिक्ति को भरे जाने तक की होगी, जो भी पहले हो। दो वर्ष क बाद सेवा-विस्तार देने पर वार्षिक आधार पर विचार केवल आपवादिक परिस्थितियों में किया जाएगा और पूरी तरह औचित्यपूर्ण होगा। आरए को नीति आयोग में सेवारत रहने के दौरान कोई और काम हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. इस पर होने वाले व्यय को निम्न विवरणानुसार नीति आयोग, मुख्यालय के बजट अनुदान में पेशेवर सेवाएं बजट शीर्ष में डाला जाएगाः

3451
00.101नीति आयोग(लघु शीर्ष)
01.00.28 पेशेवर सेवाएं

iii. सरकार और सरकार से जुड़ी परियोजनाओं में कार्यरत अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. आरओ से संयुक्त सलाहकार तक के स्तरों की रिक्तियों को भरने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों से इतर के अभ्यर्थियों के संबंध में सुझाई गई पात्रताएं नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

श्रेणी	**पद अर्हता अनुभव के वर्ष**	**प्रति माह कुल समेकित पारिश्रमिक रेंज**	**विज्ञापन की तारीख़ को आयु-सीमा**
1	2-5 वर्ष	50,000-1,00,000 रूपए	25 वर्ष से कम नहीं
2	5-10 वर्ष	1 लाख से 1.50 लाख रूपए	30 वर्ष से कम नहीं
3	10 वर्ष से अधिक	1.50 लाख से 2.50 लाख रूपए	35 वर्ष से कम नहीं

अभ्यर्थियों (गैर-सरकारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारी- दोनों) के पास संगत क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच.डी. की उपाधि होनी चाहिए।

v. संयुक्त सलाहकार स्तर के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की नामावली अनुसंधान एसोसिएट, उप-सलाहकार तक के अनुसंधान अधिकारी की अनुसंधान सहायक तथा अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी की अनुभाग पर्यवेक्षक (एसएस) होगी।

vi. नीति आयोग में काम पर रखे जाने वाले आरए/एसएस की अधिकतम संख्या 45 होगी (बशर्ते निधि अपलब्ध हो)।

vii. 6600/- रूपए अथवा 7600-रूपए ग्रेड-वेतन से सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को आरओ/एसआरओ/उप-सलाहकार की रिक्ति के एवज में कार्यरत किया जाएगा। 8700/- रुपए अथवा इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को संयुक्त सलाहकार की रिक्ति के एवज में काम पर रखा जाएगा। एसओ/एएसओ के मामले में, रिक्तियां सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुबंध आधार पर भरी जा सकती हैं।

viii. आवेदनों की छंटनी/उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए छानबीन/चयन समिति तथा संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार/एसआरओ/आरओ स्तर के लिए निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड निम्नानुसार होगाः

i.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	: अध्यक्ष
ii.)	अपर सचिव	: सदस्य
iii.)	सलाहकार/एसएमडी के सलाहकार	: सदस्य
iv.)	सलाहकार (प्रशासन)	: सदस्य-संयोजक

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों से इतर के अभ्यर्थियों के लिए, पारिश्रमिक की संस्तुति ऊपर उल्लखित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें इस प्रयोजनार्थ एएस और एफए द्वारा नामित आईएफडी का एक प्रतिनिधि सहयोजित किया जाएगा।

ix. एसओ/एएसओ स्तर के लिए छानबीन/चयन समिति और निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड निम्नवत् होगाः
i) सलाहकार (प्रशासन) : अध्यक्ष
ii) एसएमडी के उप-सचिव/निदेशक: सदस्य
iii) उप-सचिव/निदेशक (एसओ/एएसओ के सेवा मामलों को देखने वाला प्रशासन): सदस्य-संयोजक

x. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित फार्मूले अर्थात् अंतिम आहरित वेतन+महंगाई भत्ते में से मूल पेंशन को घटाने पर निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा जाएगा।

xi. आरए/एसएस को उनके कर्तव्यों के लिए अपेक्षित होने पर घरेलू/विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए उन्हें उनके ग्रेड-वेतन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमेय यात्रा

भत्ता/महंगाई भत्ता तथा होटल सुविधा के लिए भुगतान किया जाएगा। दौरों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

xii. आरए/एसएस सरकारी आवास अथवा मकान किराया भत्ता, सीजीएचएस सुविधा आदि के लिए पात्र नहीं होंगे। किंतु वे सरकारी ई-मेल आईडी, सरकारी पहचान-पत्र, दफ्तर में एक डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, मानक उपकरण वाला दूरभाष, पुस्तकालय सुविधा आदि के पात्र होंगे।

xiii. आरए/एसएस का चयन सामान्य वित्तीय नियमावली,2005 के नियम 163, 165, 166, 170 एवं 177 और परामर्शदाताओं के नियोजन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों का मैनुअल के अध्याय 7-परामर्शदाताओं का चयन(पैरा 1.2.1, पैरा 7.1 और पैरा 7.2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरुप होगा। कतिपय आपवादिक मामलों में, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से,समिति सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार एकल स्रोत से ही चयन करने पर विचार कर सकती है। किंतु इसके लिए संबंधित विषय प्रभाग/संबंधित प्रशासन को पूरा औचित्य बताना होगा।

xiv. आरए/एसएस पूर्व निर्धारित दर पर एक वर्ष में 8 दिन की छुट्टी के पात्र होंगे। रिपोर्टिंग अधिकारी के अनुमोदन से, बिना वेतन के अतिरिक्त छुट्टियों की अनुमति दी जाएगी। लगातार पन्द्रह दिन से अधिक की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

xv. संबंधित प्रशासनिक अनुभागों से अपेक्षित है कि वे दिशानिर्देशों के अनुरुप रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि निधियों की उपलब्धता का आकलन करने के पश्चात्, दो वर्षों अथवा रिक्तियों को भरे जाने की तारीख़ तक की अवधि के लिए ही,जो भी पहले हो, कार्यरत रखा जाएगा।

xvi. अगर संबंधित प्रशासन अनुभाग से आरए के कार्यकाल के दौरान, सेवा-विस्तार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, तो आरए/एसएस का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा।

xvii. आरए/एसएस से यह अपेक्षित होगा कि वे सरकारी कर्मचारियों पर लागू भारत सरकार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करें। उनसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईष्टतम ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और नेकनीयती की अपेक्षा की जाएगी। अगर आरए/एसएस की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जातीं अथवा सरकार के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं,तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जा सकती है।

xviii. नीति आयोग की पूर्व संस्वीकृति के बगैर, आरए/एसएस अपने अथवा किसी और के नाम से अथवा किसी छद्म नाम से ऐसा कोई पुस्तक अथवा आलेखों का संग्रह प्रकाशित नहीं करेगा, न ही रेडियो प्रसारण में शामिल होगा अथवा किसी समाचारपत्र या पत्रिका में कोई आलेख या पत्र भेजेगा जो नीति आयोग में कर्तव्य निर्वहन के लिए उसे आवंटित विषय-प्रभाग के मुद्दों से जुड़ा हो।

xix. अनुसंधान एसोसिएट का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में, कोई सत्यापन अपेक्षित नहीं है।

xx. आरए की सेवा अस्थायी (गैर-राजकीय) तथा आनुबंधिक होगी तथा उसे बिना कोई कारण बताए नीति आयोग किसी भी समय रद्द कर सकेगा।

xxi. आपवादिक परिस्थितियों में तथा मेधावी अभ्यर्थियों के मामले में, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से नियमों और शर्तों को शिथिल किया जा सकता है।

3. इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन तथा एएस और एफए द्वारा दिनांक 02.08.2016 की डायरी संख्या 1080 को प्रदत्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शशि पाल)
उप-सचिव, भारत सरकार

प्रतिः

1. सभी प्रभागों/वर्टिकलों के प्रमुख, नीति आयोग
2. लेखा-I अनुभाग, नीति आयोग
3. आहरण और वितरण अधिकारी, नीति आयोग
4. भुगतान और लेखा अधिकारी, नीति आयोग
5. उप-सचिव(प्रशासन), नीति आयोग
6. सामान्य-I/सामान्य-II/सामान्य-III/सामान्य-IV/पुस्तकालय/प्रोटोकॉल, नीति आयोग
7. आंतरिक वित्त प्रकोष्ठ, नीति आयोग
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मेल पर परिचालन हेतु
9. गार्ड फाइल

(शशि पाल)
उप-सचिव, भारत सरकार